न्यायालय मुन्सिफ

सोनपुर सारण।

ग्राम पंचायत चुनाव याचिका वाद सं0–02 सन् 2021

अरूण कुमार सिंह...............................आवेदक।

बनाम

नरोतम कुमार सिंह व अन्य...........................विपक्षीगण।

दिनांक– 21.02.2023

उभय पक्ष की ओर से हाजिरी है। अभिलेख आवेदक की ओर से आदेश 39 नियम 1 वो 2 के अंतर्गत दाखिल आवेदन दिनांक 05.07.2022 पर आदेश हेतु चला आ रहा है। अभिलेख आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया।

आदेश

आवेदक की ओर से आवेदन में कथन है कि आवेदन वाद अदालत हाजा में सारण जिला के सोनपुर प्रखण्ड अंतर्गत निर्वाचन क्षेत्र सं0–5 गोपालपुर 2021 के मुखिया पद का चुनाव विधिवत ढंग से नहीं होने वो मतगणना प्रेस काउड प्रोसेडयुल ढंग से नहीं होने वो धांधली कर के गैर कानूनी तरीका से सर्टिफिकेट अवैध घोषित कराने वो आवेदक को विजयी घोषित कराने के लिए दादरसी की मांग किया है जो स्वीकृत होकर पक्षों पर नोटिस जारी कर दिया गया है। जिसकी जानकारी विपक्षीगण को हो गई है। इस आवेदन के पूर्व इंतनाई सवाल दिनांक 23.12.2021 को दिया गया है जिसमें यह प्रार्थना किया गया था कि विपक्षी सं0 01 को शपथ लेने से रोक दिया जाए। जिस पर कोर्ट द्वारा विपक्षी सं0 01 वो 12 पर शोकॉज नोटिस जारी हुआ, बावजुद इसके विपक्षी सं0 12 ने जल्दी–जल्दी में मुकदमा की जानकारी होने के बाद भी विपक्षी सं0 01 को शपथ ग्रहण करा दिया। पूर्व में दिए गए आवेदन दिनांक 23.12.2021 में यह प्रार्थना किया गया था कि विपक्षी सं0 01 शपथ ग्रहण नहीं करे। लेकिन शपथ ग्रहण हो जाने से कारण यह अतिरिक्त आवेदन पत्र देना जरूरी हो गया। अवैध रूप से चयनित मुखिया विपक्षी सं0 01 जल्दी–जल्दी योजनाओं का गलत कार्यवन्वय विपक्षी सं0 12 को मेल में लेकर करना शुरू किये है। जिससे योजना का मुसयुज हो रहा है। चूंकि विपक्षी सं0 1 बाहुबली व्यक्ति है जिस वजह से उनके किए जा रहे कार्य को आम जनता विरोध नहीं कर सकती है। ऐसी हालत में विपक्षी सं0 01 के द्वारा किए जा रहे कार्यकलाप वो वितीय अधिकार पर निषेधाज्ञा इंतनाई रोक लगाना जरूरी है जिससे कि वे योजना का गलत कार्यवायन नहीं करे। आवेदन को वास्ते जारी करने निषेधाज्ञा पूर्ण प्राईमा फेसी केस प्राप्त है वो बैलेंस ऑफ कन्भेनियंस आवेदक के पक्ष में है। इस अतिरिक्त इंतनाई आवेदन पत्र को दिनांक 23.12.2021 का आवेदन का अंश माना जाए। अतः निवेदन है कि इस अतिरिक्त आवेदन पत्र को स्वीकार कर विपक्षी सं0 01 द्वारा किए जा रहे कार्यकलाप वो वितीय अधिकार पर बजरिये हुक्म इंतनाई

रोक लगाया जाए वो इस आवेदन पत्र को वाद पत्र का अंश माना जाए।

प्रतिवादी की ओर से उपरोक्त आवेदन का प्रतिउत्तर दिनांक 16.07.2022 को दाखिल किया गया है जिसमें कथन है कि वादी द्वारा प्रस्तुत आवेदन कानूनन एवं तथ्य के दृष्टिकोण में मान्य नहीं हैं। वादी ने वर्तमान आवेदन कानूनी के अनुरूप प्रस्तुत नहीं किया है। वादी द्वारा प्रस्तुत आवेदन शपथ पत्र से समर्पित नहीं है। वादी ने अपने आवेदन के कंडिका–01 में जिस प्रकार ग्राम पंचायत गोपालपुर प्रखण्ड–सोनपुर, जिला–सारण के मुखिया पद के मतगणना के संदर्भ में कथन किया है वह बिल्कुल गलत एवं तथ्य के विपरीत है। वादी अपने वादपत्र के कंडिका सं0 02 में जिस प्रकार कथन किया है एवं आवेदन के माध्यम से चुनाव के प्रक्रिया के संदर्भ में मांग किए हैं वह भी न्यायिक प्रकिया के अनुरूप वादी का कृत नहीं है। वादी अपने ओहदा का नाजायज दबाव बनाने की नियत से वर्तमान आवेदन प्रस्तुत किया है। वादी को वर्तमान आवेदन प्रस्तुत करने का कोई नैतिक एवं कानूनी हक नहीं है। वादी द्वारा प्रस्तुत आवेदन औचित्यहीन है एवं खारिज के योग्य है। अतः निवेदन है कि वादी द्वारा प्रस्तुत आवेदन खारिज करने की कृपा की जाए कि जिनके लिए प्रार्थी प्रतिवादी श्रीमान् का सदा आभारी रहेंगे।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को विगत तिथि को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद में आवेदक विपक्षी सं0 01 द्वारा किए जा रहे कार्यकलाप वो वितीय अधिकार पर बजरिये हुक्म इंतनाई रोक लगाने हेतु दाखिल किया है। आवेदक का आवेदन में कथन है कि सारण जिला के सोनपुर प्रखण्ड अंतर्गत निर्वाचन क्षेत्र सं0–5 गोपालपुर 2021 के मुखिया पद का चुनाव विधिवत ढंग से नहीं होने वो मतगणना प्रेस काउड प्रोसेड्युल ढंग से नहीं होने वो धांधली कर के गैर कानूनी तरीका से सर्टिफिकेट अवैध घोषित कराने वो आवेदक को विजयी घोषित कराने के लिए दादरसी की मांग किया है तथा अवैध रूप से चयनित मुखिया विपक्षी सं0 01 जल्दी–जल्दी योजनाओं का गलत कार्यवन्वय विपक्षी सं0 12 को मेल में लेकर करना शुरू किये है। जिससे योजना का मुसयुज हो रहा है परंतु अभिलेख के अवलोकन से यह विदित होता है कि उक्त वाद में आवेदक का न तो प्रथम दृष्टया मामला न ही सुविधा का संतुलन बनता प्रतीत हो रहा है। इंतनाई लागू नहीं होने से आवेदक को न तो कोई अपूर्णिय क्षति होता प्रतीत हो रहा है। ऐसी परिस्थिति में आवेदक की ओर से दाखिल इंतनाई आवेदन दिनांक 05.07.2022 को खारिज किया जाता है।

वाद दिनांक .... को अग्रिम कार्यवाही हेतु।

मुन्सिफ

सोनपुर सारण।